International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 01-02-2026, Accepted: 02-03-2026, Published: 17-03-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 240-241

भाषा शिक्षण में त्रिभाषा – सूत्र

उमा बणिचुल
शोधार्थी, हिन्दी विभाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत

सारांश
यह शोध–पत्र भाषा शिक्षण में त्रिभाषा सूत्र का दृष्टिकोण, अनिवार्यता और उसके अभिवृद्धि का अनुशीलन प्रस्तुत करता है मानव जीवन के लिए भाषा अत्यन्त महत्वपूर्ण है मनुष्य समाज में निवास करता है इसलिए सामाजिक प्राणी के रूप में परिचित है सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका संपर्क एक दूसरे के साथ होता रहता है विचार– विनिमय का एक ही साधन भाषा
हमारा देश भारत में भाषाई विविधता है राष्ट्रीय एकता में भाषा समस्या अड़चन है भाषा शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ करना एवं भाषा समस्या का दुरीकरण करना इसमें विभिन्न शिक्षा आयोगों के भाषा क्षेत्र में महत्व का विश्लेषण किया गया है

मूल शब्दः भाषा, शिक्षा, शिक्षण, त्रिभाषा – सूत्र, मातृभाषा, संघीय भाषा, संपर्क भाषा, विश्वभाषा

मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है –'भाषा' भाषा के अभाव में मानव जीवन के कार्य असंभव है 'भाषा' शब्द' भाष' धातु से है जिसका शाब्दिक अर्थ है दृ'बोलना' भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित करने का प्रयत्न करता है यह प्रयत्न अपने के साथ – साथ समाज के प्रति होता है इसी कारण भाषा को समाज – सापेक्ष कहा जाता है प्रकृति ने केवल मनुष्य को ही भाषा का वरदान दिया है जिसके द्वारा भावों एवं विचारों का मूल्यांकन कर पाता है भाषा के संबंध में कामता प्रसाद गुरू का कहना है कि – "भाषा वह साधन है,जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है "[1]

'शिक्षण' शब्द का मूल अर्थ है–' शिक्षा प्रदान करना'शिक्षण शब्द की उत्पति' शिक्षा' से हुई है' शिक्षा' शब्द संस्कृत के' शिक्ष' धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है – सिखाना/सीखना' शिक्षा' के पर्यायवाची शब्द–' ज्ञान',' विद्या'' शिक्षण','प्रशिक्षण', अध्ययन', 'ज्मंबीपदह', आदि शिक्षण' एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक और पाठ्यक्रम शामिल है पाठ्यक्रम को लेकर अध्यापक एवं छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान ही शिक्षण कहते हैं शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है शिक्षण छात्रों को मार्गदर्शन करता है वर्ल्ड बुक ऑफ़ एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार – "शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखने या प्राप्त करने में सहायता करता है।"[२]

'त्रिभाषा – सूत्र' अर्थात तीन भाषायों के नियम सिद्धांत विधि भारत की भाषा समस्या को दूर करने के लिए' त्रिभाषा सूत्र' सर्वोत्तम साधन बन सकता है विद्यार्थियों को विद्यालय में तीन भाषाएँ सिखनी चाहिए पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा हिन्दी एवं तीसरी विदेशी भाषा या गैर भारतीय भाषा अंग्रेजी।

त्रिभाषा सूत्र संबंध प्राथमिक विद्यालायों में नहीं है सभी विचारक तथा व्यक्ति विशेष के समर्थन पर सं 1947 से पहले ही प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को माध्यम के रूप में अपना लिए थे उच्च शिक्षा में भी भाषा समस्या से सम्बंधित नहीं है सन 1857 में भारत में मद्रास, मुंबई और कलकत्ता स्थापन किये गये थे,उनमें किसी भारतीय भाषा पर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में विचार नहीं हुआ था सन 1917 में सैंडलर की अध्यक्षता में' कलकत्ता' विश्वविद्यालय आयोग' नियुक्त हुआ था इन्हीं की सिफारिश के बाद अधिकांश विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओँ का उच्च अध्ययन होने लगा। राधा कृष्ण आयोग' उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर विचार व्यक्त किया माध्यमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र मुख्य रूप धारण किया था डॉ. ताराचंद की अध्यक्षता में सन 1948 को एक समिति नियुक्त हुई इस समिति मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को सिफारिस किया, अर्थात् एक मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी या संघीय भाषा सन 1952 में डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में' माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक हुई इस आयोग ने द्विभाषा सूत्र दिया'केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल' सन 1956 को नियुक्त हुई इस मंडल ने त्रिभाषा – सूत्र की रचना की इस मंडल ने त्रिभाषा सूत्र को भाषा समस्या का सर्वोत्तम माना 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन करके इस भाषा सूत्र को कार्यकारी करने के लिए पुष्टि किया इस सूत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से तीन भाषाएँ पढनी होगी यथा– १. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा २. अंग्रेजी भाषा ३. एक भारतीय भाषा या हिन्दी' कोठारी आयोग' ने भी त्रिभाषा – सूत्र के अनुपालन करके विश्लेषण किया और कहा है – १. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा २.संघ की राजभाषा या सह– राजभाषा ३.एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा'राष्ट्रीय शिक्षानीति' 1968 त्रिभाषा – सूत्र को मान्यता प्राप्त करते हुए घोषित किया है माध्यमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषायों का अध्ययन अनिवार्य है १. हिन्दी भाषी राज्य में – हिन्दी, अंग्रेजी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा २. अहिन्दी– भाषी राज्य में – हिन्दी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण करते हुए भाईयोगेन्द्रजीत जी का पुस्तक' नूतन हिन्दी भाषा शिक्षण' में सरलता के साथ सुन्दर परिकल्पनाएँ किया गया है – "१. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी अभीष्ट है २.भारत बहु भाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अभीष्ट है ३. भारत की राष्ट्र भाषा, राजभाषा या कम – से – कम संपर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है संविधान ने एवं शिक्षा के विभिन्न आयोग ने इसी भाषा को स्वीकृत किया है, अतः संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए जनतंत्र का ताकजा भी यही है ४. अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है एवं उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता, अतः उसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए ५. इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम – से – कम तीन भाषाएँ पढनी होगी ६. किन्तु जिसकी मातृभाषा हिन्दी है, वे दो ही भाषा पढेंगे ऐसा क्यों हो ? अतः हिन्दी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा को

अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे अहिन्दी भाषी प्रदेशों की दृष्टि से न्याय हो सके ७. यह अन्य भाषा संस्कृत न हो "३

शिक्षानीति 2020 त्रिभाषा – सूत्र के बारे में कहा है – छात्रों को कम– से – कम तीन भाषाएँ सिखनी चाहिए सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ में से दो भाषाएँ भारतीय भाषा होनी चाहिए विद्यार्थ अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं देश में भाषाई अंतर को समाप्त करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है

त्रिभाषी – सूत्र के लिए नियम बनाया गया, कार्यकारी भी हो रही है सफल रूपायन के लिए सभी का साथ आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. गंगा सहाय प्रेमी एवं डॉ. त्रिलोकीनाथ श्री वात्सव,वृहत भाषा विज्ञान, पृ.–46
2. भाई योगेन्द्रजीत, नूतन हिन्दी शिक्षण, पृ.–321
3. भाई योगेन्द्रजीत, नूतन हिन्दी शिक्षण, पृ.–23
4. कोठारी आयोग रिपोर्ट
5. राधाकृष्णन आयोग रिपोर्ट
6. राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020